

11
 12
 ✖

राजस्थान सरकार
 ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
 (पंचायती राज)

क्रमांक-एफ.130()नरावि/विधि/नियम/गर्मवर्गन/2012/23 जयपुर,दिनांक 10.01.2013

== आज्ञा ==


राजस्थान पंचायती राज नियम,1998 के नियम 157 पुराने गृहों का विनियमितीकरण के उप-नियम(1) के अनुसार जहाँ व्यक्तियों के कब्जे में आबादी भूमि में पुराने गृह हों और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हों, उन्हें इन्ही नियमों के कतिपय प्रावधानों के तहत पट्टा जारी किया जाता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पुराने गृह की परिधि में परिसर में स्थित उपयोग में आने वाली भूमि भी सम्मिलित होती है।

अतः प्रस्तासन- चर्चों के संग अभिमान वर्ष 2013 की अवधि के दौरान ऐसे समस्त प्रकरणों में पट्टा जारी करने वाली पंचायत द्वारा संबंधित व्यक्ति को उसके कब्जे वाली आबादी भूमि, जिसमें निर्मित भवन/मकान (कच्चा/पक्का) सम्मिलित हो अधिकतम 300 वर्गगज तक निर्मित भवन/मकान के क्षेत्रफल तथा इस निर्मित एरिया के 25 प्रतिशत तक की उसके उपयोग में आने वाली कच्चागुदा भूमि को सम्मिलित कर इनमें से जो भी कम हो का पट्टा नियम 148 के प्रावधानानुसार स्थल निरीक्षण करवाये जाने के पश्चात् एवं नियम 148 व 149 के अनुसार नोटिस जारी कर प्राप्त आक्षेपों का निपटारा करने के पश्चात् जारी किया जाये।


 उप सचिव (विधि)

प्रतिलिपि-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राजप, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, समस्त, राजस्थान।
5. समस्त अधिकारीगण, पंचायती राज/ग्रामीण विकास विभाग, मुख्यालय।
6. मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त, राजस्थान।
8. रचित पत्रावली।


 उप सचिव (विधि)

प्रतिलिपि:- मुख्यार्थ एवं आबादी कार्यालयी हस्त प्रेषित -

- 107
 11-1-13
- (1) जिला प्रमुख नदीप पाली
 - (2) जिला नदीप नदीप पाली
 - (3) उपलब्ध अधिकारी / जिला अधिकारी - - - - - समस्त
 - (4) विकास अधिकारी पंचायत समिति - - - - -